बिहार सरकार
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

सं0सं0—9/आ0—02—33/2023(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः—.......................

डॉ0 मनीष चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारूव, ओवरा, औरंगाबाद के विरूद्ध दिनांक—24.04.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागय संकल्प सं0—471(9) दिनांक—16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच—प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक—1125(9) दिनांक—18.11.2024 द्वारा डॉ0 चन्द्रा से द्वितीय कारण—पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 चन्द्रा द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि उनकी मॉ का दिनांक—26.04.2022 को दिल्ली में हृदय का ऑपरेशन निर्धारित था। इसलिए उनके द्वारा दिनांक—24.04.2022 से 30.04.2022 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन समर्पित किया गया, जिसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः उनकी मॉ का दिनांक—05.05 2022 को हृदय का ऑपरेशन दिल्ली में निर्धारित किया गया। वे दिनांक—01.05.2022 से 08.11.2022 तक अपनी मॉ के हृदय के ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली में थे। अतएव वे कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहें।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 चन्द्रा के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच—प्रतिवेदन (अधिगम) एवं द्वितीय कारण—पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यो को प्रमाणिकता हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्हें अवकाश मे प्रस्थान करने से पूर्व अवकाश को स्वीकृत कराना चाहिए था। उनके स्पष्टीकरण को युक्तियुक्त नहीं पाते हुए बिना अवकाश स्वीकृत कराए प्रस्थान करने के लिए "चेतावनी" की शास्ति अधिरोपित करने के साथ अनुपस्थिति अवधि दिनांक—01.05.2022 से 08.11.2022 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं एवं किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ0 मनीष चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिकत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारूव, ओवरा, औरंगाबाद के विरूद्ध दिनांक—01.05.2022 से 08.11.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में चेतावनी की शास्ति एवं अनुपस्थिति अवधि दिनांक—01.05.2022 से 08.11.2022 तक कार्य नहीं तो वेतन नहीं एवं किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने का विनिश्चय संसूचित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—02—33/2023(स्वा0) 457(9) **/ पटना, दिनांकः—** 16.05.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/05/2025

(15)

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डॉ0 मनीष चन्द्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारूव, ओवरा, औरंगाबाद सम्प्रति अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/05/2025

सरकार के अवर सचिव।